सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
अगरदान पुत्र विजयदान जाति चारण, निवासी झाफलीकलां तहसील शिव, जिला बाड़मेर		अर्जुन पुत्र छुगा जाति माली, निवासी अम्बावाड़ी तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (06)

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन (धारा 53,188) **मुकदमा नम्बर** 88/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.06.2022	प्रार्थी/वादी/अपीलाण्ट के वकील **श्री बृजमोहन कुमावत** ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा **53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 03/8/22 को पेश हो। सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)	2859-2865 29/6/22
3.8.22	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादीगण के नोटिस व डिलेवरी रिपोर्ट पेश की, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते प्रतिवादीगण का इन्तजार होकर आइन्दा दिनांक 7.9.22 को पेश हो।	
7/9/22	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 12/10/22 को पेश हो।	
12.10.22	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता हरिराम चौधरी द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 व 4 की ओर से वकालतनामा व इकबाली जवाब मय काउंटर क्लेम पेश किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते शेष प्रतिवादीगण का इन्तजार होकर आइन्दा दिनांक 09.11.22 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.12.10 14:15:30 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहलकार हुक्म में जारी
28.07.25	पत्रावली पेश। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते TDR शिव से विभाजन प्रस्ताव का इन्तजार होकर दिनांक 21.08.25 को पेश हो।	
21.08.25	पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में आज [illegible] कार्यवाही नहीं होने कारण इन्तजार होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 26.09.25 को पेश हो।	
26.09.25	पत्रावली पेश। वकील वादी अनुपस्थित। पत्रावली में प्रभावी पैरवी हेतु न्यायालय समय में वादी व वादी वकील को रूक-रूककर आवाजे दी जाने के बावजूद अनुपस्थित। अतः पत्रावली में कोई प्रभावी पैरवी नहीं होने तथा वादी व वादी अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने पर उक्त वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.12.10 14:15:30 IST
Reason: SelfAttested